न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

अनवान :— विविध प्रकरण संख्या :— 76/2019

विजय लक्ष्मी पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

— — वादी

—:: बनाम ::—

1. शान्ति देवी पत्नी श्री सही राम
2. सुनील कुमार } पिसरान
3. सुमित कुमार } श्री सुरेन्द्र कुमार

} अकवाम जाट निवासीयान नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

4. स्टेट आफ राजस्थान — जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

— — प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 88राज. काश्तकारी अधिनियम एवम् 36 एलआर.एक्ट

—:: उपस्थिति ::—

1. श्री मनोहर लाल सहारण अधिवक्ता —वादी
2. श्री बंशीलाल अधिवक्ता — प्रतिवादी 1 ता 3
3. पैरोकार राज —प्रतिवादी 4

—:: निर्णय ::— दिनांक :—28.02.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया का रजिस्टर्ड पता शीर्षक वाद मे अंकित किया गया है। व्यवहार यह कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 18 एम एल की खतौनी सं. 81/38 मुरब्बा नं. 23 किला नं. 15 ता 25 मे 1.585 हैक्टयर रकबा दर्ज है जो वादीया व प्रतिवादी सं. 1 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2066—2069 शामिल वाद पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक 18 एम एल की खतौनी सं. 82/56 मुरब्बा नं. 11 किला नं. 21 ता 25 मे 1.024 हैक. नहरी, मुरब्बा नं. 12 किला नं. 1 ता 25 मे 5. 048 हैक. नहरी, मुरब्बा नं. 40 किला नं. 1 ता 25 मे 5.16 हैक. नहरी कुल 11.232 हैक. नहरी रकबा दर्ज है। जिसमे वादीया के नाम 3.810 हैक. रकबा दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2066—2069 शामिल वाद पत्र है। उपरोक्त रकबा जो वादीया के नाम है व वादीया को अपनी दादी श्रीमति मीरां देवी बेवा श्री सुखराम जाति जाट निवासी नेतेवाला तहसील श्रीगंगानगर से जरिये रजिस्टर्ड वसीयत के अनुसार व कुछ रकबा अपने पिता सहीराम से विरासत [illegible] वसीयत व इंतकाल की फोटो कॉपी साथ सलंग्न वाद पत्र है। वादीया की [illegible] के [illegible]वास होने के उपरान्त उनकी वसीयत अनुसार इंतकाल दर्ज करते [illegible] सहवन वंश [illegible] के नाम के आगे वादीया के पति का नाम न लिखकर वादीया के पिता का नाम लिख दिया। जबकि वसी[illegible]सार वादीया के पति का नाम दर्ज होना चाहिए था इस का[illegible] यह इंतकाल पति [illegible] दर्ज होने की हद तक शून्य व मेरे अधिकारो पर निष्प्रभावी हैं। नकल वसीयत व इंतकाल की प्रति साथ संलग्न वाद पत्र है। वादीया स्वर्गीय सुखराम की एक मात्र सन्तान थी इस कारण उनके विरास्तन इंतकाल करते वक्त अकेली सन्तान होने के कारण उसके नाम के आगे पुत्री सहीराम दर्ज कर दिया जबकि विवाहिता होने के कारण उसके नाम के आगे उसके पति का नाम कानूनन अंकित होना चाहिए था। इस कारण विरास्तन इंतकाल भी पिता सहीराम के [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.10 15:53:36 IST
Reason: SelfAttested

वारिस थी तथा पिता के स्वर्गवास होने के उपरान्त वादीया के नाम के आगे पति का नाम दर्ज न कर पिता का नाम दर्ज कर दिया। जबकि वादीया विवाहित व बाल बच्चेदार थी। वादीया ने बैंक से अपनी आराजी मे ऋण लेना था। जिस पर बैंक द्वारा आई. डी. प्रूफ की मांगी की गयी जिसमे वादीया के नाम के आगे उसके पति का नाम अंकित है जबकि जमाबन्दी मे उसके पिता का नाम अंकित है इस कारण वादीया को भूमि रिकार्ड मे अपने नाम के आगे पति का नाम दर्ज नही होने से बेवजह से ही परेशानी हुई है।वादीया द्वारा अपने पति व पुत्रो से अपनी दादी के द्वारा की गई वसीयत को दिखाकर पढ़ाया तब पता लगा कि किस प्रकार सहबन वंश वसीतय के इंतकाल के वक्त वादीया के नाम के आगे पिता का नाम दर्ज कर दिया जबकि वसीयत मे वादीया के पति का नाम भी दर्ज थी। पटवारी हल्का से वादीया ने यह तथ्य बताकर उनके रिकार्ड दुरूस्ती की तथा कहा कि आपकी गलती की वजह से यह त्रुटि हुई है इसलिए आप इस त्रुटि को शुद्धिपत्र द्वारा सही करो तो उनके द्वारा कहा गया कि पुराना इंतकाल होने के कारण उनके अधिकार क्षेत्र मे नही हैं। आप सक्षम अदालत मे पिता के नाम की जगह पति का नाम दर्ज करवाओ। हम इसमे कुछ नही कर सकते है। तुम्हे जो करना है सो करो बस यही बिनाय दावा है जो वादीया को प्रतिवादी सं. 4 के विरूद्ध हासिल हुआ है। जमाबन्दी मे वादीया का सही एवं पूर्ण विवरण के अभाव मे व अपने पिता के नाम की जगह पति का नाम दर्ज होने से, बतौर खातेदारी कृषक अपने विधिक अधिकारो का पूर्ण रूप से उपयोग करने में असंमर्थ है, इसलिए वादीया को दावा दायरी के अलावा अन्य कोई विधिक उपचार उपलब्ध नही होने के कारण वादीया दावा पेश करने की अधिकारिणी है। राजस्थान सरकार भूमि की आवश्यक पक्षकार है चूंकि रजिस्टर्ड दस्तावेज के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने का उसका नैतिक दायित्व है तथा वह इसके लिए उतरदायी है। इसलिए उसे प्रतिवादी पक्षकार बनाया है। अन्य सहकाश्तकार है को इसलिए उन्हे पक्षकार बनाया है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार डिग्री फरमाया जावे।

(क)– घोषित किया जावे कि वादीया विजय लक्ष्मी पत्नी सुरेन्द्र कुमार है इस अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे–

(ख)– इसी अनुसार रिकार्ड से पुत्री सहीराम का नाम तर्क किया जावे।

(ग)– खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(घ)– इंतकाल सं. 154 दिनांक 15–05–1996 पुत्री सहीराम की हद तक शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जावे।

(ड)– अन्य कोई आज्ञा जो न्यायसंगत व वादीया के पक्ष में प्रदान की जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 [illegible] बालिग्या जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित कथन एवं तथ्यानुसार ""इकबाल [illegible] प्रस्तुत करके निवेदन है कि वादिया का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया जाती है तो हमें प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।""

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.10 15:53:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार प्रकरण में वादी अपने राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के स्थान पर अपने पति का नाम दर्ज करवाना चाहती है। वादी द्वारा राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं मांगा गया है। अतः राज्य हित को मध्यनजर रख कर प्रकरण का निस्तारण योग्य है।

वाद में किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होने के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद्यक कायम करने आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में अपना स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये।

बहस सुनी गुई। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2066–2069 चक बख्तावाली 19 एमएल खाता संख्या 80/31, 81/38, 12 पेश की, एवं वादी का आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड एवं जवाब प्रतिवादी का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। अतः तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगागनर से प्राप्त रिपोर्ट एवं दस्तावेज़ात के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को जमाबंदी सम्वत् 2066–2069 चक बख्तांवाली 19 एमएल खाता संख्या 80/31, 81/38, 12 में वादी का नाम विजय लक्ष्मी पुत्री सहीराम को दुरूस्त करते हुए विजय लक्ष्मी पत्नी सुरेन्द्र कुमार पुत्री सहीराम दर्ज करने का आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 28.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.10 15:53:36 IST
Reason: SelfAttested